QUICK NEWS

दिल्ली में डेंगू से अब तक 23 लोगों की मौत

दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू से 6 और लोगों की मौत होने के कारण इस साल मच्छर जनित इस बीमारी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 23 हो गयी है. पिछले एक हफ्ते में डेंगू के करीब 130 नए मामले आने से इसके कुल मामलों की संख्या 9,500 से अधिक हो गयी है. दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अनुसार, 18 दिसंबर तक डेंगू से हुई मौत की आधिकारिक संख्या 17 थी. नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मौसम में 25 दिसंबर तक डेंगू के कुल 9,545 मामले आए हैं और 23 लोगों की मौत हुई है. इस महीने 25 दिसंबर तक डेंगू के कुल 1,269 मामले आए.

9,500 से अधिक मामले सामने आए

सूर्या ने अपना बयान वापस लिया

बेंगलुरु. हिंदू पुनरुत्थान पर अपने भाषण में धर्मांतरण पर की गई टिप्पणी से विवाद पैदा होने पर लोकसभा सदस्य तेजस्वी सूर्या ने सोमवार को बेशर्त अपने बयान वापस ले लिए. भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उनके बयान के कुछ हिस्से से परिहार्य विवाद पैदा हो गया. सूर्या ने एक ट्वीट में कहा, "उडुपी श्री कृष्ण मठ में दो दिन पहले हुए एक कार्यक्रम में, मैंने 'भारत में हिंदू पुनरूत्थान' विषय पर बोला था. मेरे भाषण के कुछ बयान से खेदजनक ढंग से एक परिहार्य विवाद पैदा हो गया. इसलिए मैं बेशर्त बयान वापस लेता हूं.''

केरल में परीक्षा की तारीखें घोषित

तिरुवनंतपुरम. केरल सरकार ने मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के लिए वार्षिक 'सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट', 12वीं और 'वोकेशनल हायर सेकेंडरी' की परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की. शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने कहा कि परीक्षाएं 31 मार्च से 29 अप्रैल के बीच, जबकि 12वीं और 'वोकेशनल हायर सेकेंडरी' की परीक्षाएं 30 मार्च से 22 अप्रैल के बीच आयोजित होंगी. एसएसएलसी की आईटी 'प्रैक्टिकल' परीक्षा 10 से 19 मार्च के बीच होगी. जबकि 12वीं की 'प्रैक्टिकल' परीक्षा 21 फरवरी से 15 मार्च के बीच होगी. 'वोकेशनल हायर सेकेंडरी' की 'प्रैक्टिकल' परीक्षा 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच होगी. इस बीच, परीक्षा से पहले, प्रत्येक विषय की 'मॉडल' परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो एसएसएलसी, 12वीं/वीएचएससी के लिए क्रमशः 21 से 25 मार्च के बीच और 16 से 21 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी.

कोर्ट के आदेशों की न हो अनदेखी

कार्यपालिका के कार्य को लेकर चीफ जस्टिस ने जताई चिंता

■ **दिल्ली,** एजेंसियां. भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा है कि कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने की कार्यपालिका की प्रवृत्ति चिंता की बात है. अदालत के आदेशों की अवहेलना और अनादर करने की प्रवृत्ति बढ़ी है. जब तक कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों से सहयोग और सहायता नहीं मिलती है, लोगों को न्याय मिलना अकेले न्यायपालिका द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है. शीर्ष अदालतों को यह सुनिश्चित करना है कि कार्यपालिका के फैसले और कानून, संविधान के अनुरूप हों. उन्होंने जोर देकर कहा कि बहुमत में आई सरकार के किसी भी फैसले की वैधता संवैधानिक कसौटी पर जांचते समय अदालतें कोई ढिलाई नहीं दिखा सकती हैं. एक कार्यक्रम में 'भारतीय न्यायपालिका- भविष्य की चुनौतियां' विषय पर बोलते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि पापुलर मेजारिटी किसी भी सरकार के मनमाने फैसलों का बचाव नहीं है. हर फैसला अनिवार्य रूप से संविधान के अनुरूप होना चाहिए. अगर न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं है तो इस देश में लोकतंत्र की कार्यप्रणाली कल्पना से परे होगी. चीफ जस्टिस ने आगे यह भी कहा कि यह धारणा एक मिथक है कि न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं, क्योंकि न्यायपालिका, न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल कई हितधारकों में से महज एक हितधारक है. हाल के दिनों में न्यायिक अधिकारियों पर शारीरिक हमले बढ़े हैं और कई बार अनुकूल फैसला नहीं आने पर कुछ पक्षकार प्रिंट और सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों के खिलाफ अभियान चलाते हैं और ये हमले 'प्रायोजित और समकालिक' प्रतीत होते हैं.

लोक अभियोजकों के संस्थान को स्वतंत्र करने की जरूरत

- जस्टिस रमना ने कहा कि लोक अभियोजकों के संस्थान को स्वतंत्र करने की जरूरत है.
- उन्हें पूर्ण आजादी दी जानी चाहिए और उन्हें केवल अदालतों के प्रति जवाबदेह बनाने की जरूरत है.
- इन दिनों न्यायाधीश खुद न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं जैसे जुमलों को दोहराना चलन हो गया है.
- मेरा मानना है कि यह बड़े पैमाने पर फैलाए जाने वाले मिथकों में से एक है.

- तथ्य यह है कि न्यायपालिका इस प्रक्रिया में शामिल कई हितधारकों में से महज एक हितधारक है.

सही और गलत के बीच अंतर करने में सक्षम नहीं

हाल में केरल से सांसद जॉन ब्रिट्टस ने उच्च और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश संशोधन विधयेक-2021 पर चर्चा के दौरान संसद में कहा था कि न्यायाधीशों के ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की बात दुनिया में कहीं सुनाई नहीं देती. न्यायमूर्ति रमना ने कहा, 'इस प्रक्रिया में केंद्रीय कानून मंत्रालय, राज्य सरकार, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का कलीजियम, खुफिया ब्यूरो आदि शामिल होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी उम्मीदवार की योग्यता को परखने की है. मैं यह देखकर कर दुखी हूं कि जानकार व्यक्ति भी यह धारणा फैला रहा है. आखिरकार यह कथानक एक वर्ग को अनुकूल लगता है.' कानून प्रवर्तन एजेंसियों, खासतौर पर विशेष एजेंसियों को न्यायपालिका पर हो रहे दुर्भावनापूर्ण हमलों से निपटना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब तक न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता और आदेश पारित नहीं करता, तब तक आमतौर पर अधिकारी जांच की प्रक्रिया शुरू नहीं करते. सरकार से उम्मीद की जाती है और उसका यह कर्तव्य है कि वह सुरक्षित माहौल बनाए ताकि न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी बिना भय के काम कर सकें. मीडिया के नए माध्यमों के पास जानकारी फैलाने की बहुत अधिक क्षमता है लेकिन ऐसा लगता है कि वह सही और गलत, अच्छे और बुरे, वास्तविक और फर्जी के बीच अंतर करने में सक्षम नहीं है.

प्रभावी समाधान के बारे में भी सोचना चाहिए

चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून बनाने के दौरान कानून निर्माताओं को उसकी वजह से उत्पन्न समस्याओं के प्रभावी समाधान के बारे में भी सोचना चाहिए और ऐसा लगता है कि इस सिद्धांत को नजरअंदाज किया जा रहा है. उन्होंने बिहार मद्य निषेद कानून, 2016 का हवाला दिया, जिसकी वजह से उच्च न्यायालय में जमानत अर्जियों की बाढ़ आ गई. CJI ने कहा कि कानून बनाने में दूरदर्शिता की कमी के कारण अदालतों में सीधे तौर पर रुकावट आ सकती है.

नाशिक, धुलिया और नंदुरबार में IT के छापे

240 करोड़ रु. की प्रॉपर्टी जब्त

■ **नाशिक ,** ब्यूरो. सोमवार की सुबह नाशिक, धुलिया और नंदुरबार में विभिन्न जगहों पर एक साथ इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने छापे मारे. इस छापेमारी से नाशिक में खलबली मच गई है. अधिकारियों ने 31 जगहों पर छापे मारकर 240 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति जब्त की है. इसमें 6 करोड़ कैश, 5 करोड़ के गहने भी शामिल है. अब सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी संपत्ति जमा कैसे की गई और अब तक इस पर किसी की नजर क्यों नहीं गई थी? इस कार्रवाई को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है.

175 अधिकारियों ने एक साथ मारा छापा

- जमीन की खरीद-बिक्री करने वाले व्यवसायी, सरकारी ठेकेदार और बिल्डर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर है.
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी में जब्त की गई और करोड़ों रुपए के नोट गिनने के लिए 12 घंटे लगे है.
- इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए 22 गाड़ियों से 175 अधिकारी एक ही वक्त में अलग-अलग रास्तों से संबंधित जगहों पर पहुंचे थे. इसे देखते हुए तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था.

रुपये गिनने में लगे 12 घंटे सोने के बिस्किट भी मिले

इस कार्रवाई में इनकम टैक्स विभाग को 240 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति मिली है. इन पैसों को गिनने में 12 घंटे का वक्त लगा है. इसमें पांच करोड़ के गहने मिले है, जिसमें मूल्यवान रत्नों की अंगूठी, हीरे के गहने तक शामिल है. खासकर सोने की बिस्कीट बड़ी मात्रा में बरामद हुई है. कई बड़ी मछलियां भी अधिकारियों के रडार पर है. उनके खिलाफ कभी भी कार्रवाई हो सकती है. इस ठंड में जिनके पास से पैसे बरामद हुए है उन्हें गर्मी लगने लगी है.

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **श्री राधेश्याम सुरजमल शर्मा** जिन्होंने **५ दिसंबर, २०१९** को **बृजमोहन सुरजमल शर्मा** से अपना नाम बदलकर **श्री राधेश्याम सुरजमल शर्मा** कर लिया था, इन्होंने सोसाइटी **न्यू सुनीता पार्क को-ऑप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड** को उन से फ्लैट **ए-०२**, पहली मंजिल, न्यू सुनीता पार्क को-ओप. एचएसजी सोसायटी लिमिटेड सोडावाला लेन, पी. एफ. क्वार्टर्स, बोरीवली (पश्चिम), मुंबई ४०००९२, के लिए उक्त फ्लैट के शीर्षक, अधिकार और हीत में निहित हकदार मालिक होने के नाते अपने नाम पर शेयर प्रमाण पत्र जारी करने की अर्जी दी है।

यदि किसी को **श्री राधेश्याम सुरजमल शर्मा** इनके नाम पर उक्त फ्लैट के लिए उपरोक्त शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में कोई आपत्ति, दावा, हित, विवाद है तो वह मेरे अधिवक्ता से इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से **१४ (चौदह) दिनों** के भीतर उनके आपत्तियों/ दावों/ विवादों के विवरण के साथ संपर्क कर दस्तावेजी प्रमाण के साथ उसकी पुष्टि कर सकते है। कृपया ध्यान दें कि इन **१४ दिनों** के बाद किसी भी दावे/ आपत्ति/ विवाद पर विचार नहीं किया जाएगा और सोसायटी को किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

सही/- वकील श्री करण भंसाली
०९ - ग्राउन्ड फ्लोर, सूर्यकिरण अपार्टमेंट, अवधूत नगर, दहिसर (पू), मुंबई ४०० ०६८, महाराष्ट्र, भारत. मोबाईल : ९८१९११६३२१
kbhansaliconsultancy@gmail.com
स्थळ : मुंबई दिनांक: २८/१२/२०२१

पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन

180 ट्रेनें हुईं प्रभावित

■ **जालंधर,** एजेंसियां. किसान मजदूर संगठन समिति का रेल रोको आंदोलन पंजाब भर में रेलगाड़ियों के आवागमन को बुरी तरह से प्रभावित किए हुए है. रविवार को एक बार फिर से 113 ट्रेनों को रद्द कर देना पड़ा. रद्द की गई ट्रेनों में 63 मेल अथवा एक्सप्रेस ट्रेनें एवं 50 पैसेंजर ट्रेनें शामिल थीं. इसके अलावा 35 ट्रेनों को शार्ट टर्मिनेटेड (गंतव्य से पहले रोकी) कर देना पड़ा और 32 ट्रेनों को शार्ट ओरिजनेटेड (गंतव्य से पहले रवाना) किया गया. कुल मिलाकर पंजाब भर में 180 ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ. किसान मजदूर संघर्ष समिति की तरफ से 20 दिसंबर से व्यास अमृतसर रेल खंड पर जंडियाला-मानावाला के मध्य जालंधर-पठानकोट रेल खंड पर टांडा उड़मड़, अमृतसर खेमकरण रेलखंड पर तरनतारन फिरोजपुर बठिंडा रेल खंड पर फिरोजपुर यार्ड में, फिरोजपुर लुधियाना रेल खंड पर मोगा में, फाजिल्का कोटकपूरा रेलखंड पर एवं जालंधर छावनी रेलवे स्टेशन में ट्रैक के ऊपर धरना दिया हुआ है. रेलवे की तरफ से उपलब्ध करवाई गई जानकारी के मुताबिक जंडियाला मानावाला के मध्य लगभग 800 किसान, टांडा उड़मड़ में 400, तरनतारन में 50, फिरोजपुर में 50, मोगा में 60, फाजिल्का में 250 एवं जालंधर छावनी में लगभग 60 किसान धरने पर बैठे हैं. मोगा एवं फाजिल्का में 22 दिसंबर को धरना शुरू किया गया, जबकि जालंधर छावनी में 23 दिसंबर से धरना शुरू हुआ था. जालंधर-अमृतसर एवं जालंधर-पठानकोट समेत अमृतसर खेमकरण एवं फिरोजपुर यार्ड 20 दिसंबर से बाधित है. रेल ट्रैक बाधित होने की वजह से देश के अन्य राज्यों से फिरोजपुर मंडल की तरफ आने वाली ट्रेनों को विभिन्न जगहों पर शार्ट टर्मिनेटेड किया जा रहा है, जिस वजह से यात्रियों को गंतव्य से पहले स्टेशन पर उतरना पड़ रहा है.

07 स्थानों पर बैठे **1,670** अन्नदाता

महिलाएं अकेले यात्रा न करे

तालिबानी फरमान

■ **काबुल,** एजेंसियां. अफगानिस्तान में तालिबान का असली कट्टरपंथी चेहरा अब सामने आने लगा है. दुनिया से मान्यता देने की गुहार लगा रहे तालिबान ने महिलाओं को लंबी दूरी तक बस या अन्य वाहनों में अकेले यात्रा करने पर रोक लगा दी है. कार में म्यूजिक बजाने पर भी तालिबान ने बैन लगा दिया है. तालिबान ने यह भी कहा है कि महिलाओं को यात्रा के दौरान हिजाब पहनना होगा. तालिबानी शासन ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब वह पहले ही बच्चियों के पढ़ने पर कई तरह के प्रतिबंध लगा चुका है. तालिबान ने अपने नए आदेश में कहा है कि महिलाएं बस में 70 किमी से अधिक की दूरी अकेले तय नहीं कर सकेंगी. इससे आगे जाने के लिए उनके साथ किसी पुरुष संरक्षक का होना जरूरी होगा. उसने कहा कि लंबी दूरी तक जाने वाली अकेली महिलाओं को गाड़ी में न बैठाया जाए. तालिबान ने सत्ता में आने के बाद दावा किया था कि वह प्रगतिशील हो गया है लेकिन उसके आदेश यह बताते हैं कि 20 साल पहले वाले तालिबान और अब के तालिबान में कोई बदलाव नहीं आया है.

साथ हो पुरुष रिश्तेदार

तालिबानी मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जो महिलाएं हिजाब पहने हुए हैं, उन्हें ही 70 किमी से आगे जाने की अनुमति दी जाए. मंत्रालय के प्रवक्ता सादिक अकीफ मुहाजिर ने कहा, 'महिलाओं के साथ उनका करीबी पुरुष रिश्तेदार होना चाहिए.'

'3 का आंकड़ा साथ रहा'

गहलोत के बयान से राजस्थान में सियासी संकेत

■ **जयपुर,** एजेंसियां. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच आए दिन बयानबाजी होती रहती है. इस बीच गहलोत का एक बयान खासा चर्चा में है. इस बयान में एक तरफ उन्होंने पूर्व में पायलट कैंप के साथ टकराव की बात स्वीकार की है. वहीं दूसरी तरफ कहा है कि 3 का आंकड़ा हमेशा उनके साथ रहा है.

क्या अगली बार सीएम फेस नहीं: सीएम के इस बयान से सबसे बड़ी कयासबाजी तो यही शुरू हो गई है. बतौर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह तीसरा टर्म है. वह पहली बार 1998 में मुख्यमंत्री बने थे. दूसरी बार 2008 में उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था. फिर 2018 में जीत के बाद बतौर मुख्यमंत्री उनका यह तीसरा मुख्यमंत्री कार्यकाल है. सीएम ने अपने बयान में कहा है कि उन्हें 3 बार केंद्रीय मंत्री, 3 बार पीसीसी अध्यक्ष और 3 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला है. अगर यहां के गहलोत के 3 के आंकड़ों वाली बात लागू करें तो वह खुद मानते हैं कि चौथी बार वह मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार नहीं होंगे.

सचिन पायलट का रास्ता साफ

दूसरी तरफ पायलट पूरी तरह से शांत नहीं बैठे हैं. हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान उन्होंने अपने गुट के लोगों को मंत्री पद दिलाया. वहीं सचिन खुद लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क की मुहिम में लगे हुए हैं. अपने क्षेत्र के साथ-साथ वह विभिन्न आयोजनों और कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं. पिछले दिनों उन्हें संगठन की जिम्मेदारी देकर राजस्थान से हटाने की चर्चा भी थी लेकिन बाद में पायलट ने खुद बयान जारी कर कहा था कि अगले 50 साल तक वह कहीं नहीं जाने वाले.

फैसला टला

■ **बैंकाक,** एजेंसियां. सैन्य शासित म्यांमार में एक अदालत ने सत्ता से बेदखल की गई नेता आंग सान सू ची के खिलाफ 2 आरोपों पर अपना फैसला सोमवार को टाल दिया. ये मामले देश में सेना के 1 फरवरी को सत्ता पर कब्जा जमाने के बाद से 76 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता के खिलाफ राजधानी नेपीता की अदालत में दर्ज कई मामलों में से एक है.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

जल अभियंता विभाग

ई-निविदा सूचना

निविदा दस्तावेज क्र.	
विषय	**गणेश घाट से पवारवाडी, पवई झील विचरण मार्ग, जेवीएलआर पवई में निसर्ग उद्यान का बागवानी रखरखाव.**
निविदा का शुल्क	रु. 11,092/- (9400+18% जीएसटी)
बोली सुरक्षा जमा /ईएमडी	**रु. 1,41,300/-**
निविदा जारी करने तथा बिक्री की तिथि	29.12.2021 को 11.00 बजे से
बोली सुरक्षा जमा की स्वीकृति तथा निविदा की बिक्री की अंतिम तिथि एवं समय	17.01.2022 को 16.00 बजे तक
लिफाफा ए, बी और लिफाफा सी जमा करना (ऑनलाइन)	17.01.2022 को 16.00 बजे तक
विभाग नाम	उप जल अभियंता (अनुरक्षण)
वेबसाइट	**portal.mcgm.gov.in**
संपर्क व्यक्ति	श्री जगदीश राठौड़ एसीजी (पवई गार्डन) ओसी
संपर्क क्र.	7506354296
ई-मेल आईडी	ha01maint.he@mcgm.gov.in

उक्त निविदा दस्तावेज अहस्तांतरणीय है.
एमसीजीएम के पास बिना कोई कारण दर्शाये उपरोक्त विषय हेतु प्राप्त किसी भी अथवा सभी आवेदन को निरस्त करने अथवा किसी भी आवेदन को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है.

हस्ता./-
पीआरओ/1864/विज्ञा./2021-22 **कार्य. अभि. (एचडब्ल्यू) डब्ल्यूडब्ल्यू**

हल्का सा भी बुखार आये, तो डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

जगह चाहिए

बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफसाईट ई-लॉबी हेतू परिसर के लिए मालिकों/मुख्तारनामा धारकों से तल मंजिल पर स्वामित्व के आधार पर तैयार परिसर के लिए (अधिभोग प्रमाणपत्र निर्बाध हक) प्रस्ताव आमंत्रित करता है। 24 घंटे परिसर प्रवेश की सुविधा हो एवं समुचित बिजली व्यवस्था 3 फेस कनेक्शन सहित सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होना चाहिए। **इच्छुक मालिकों / मुख्तारनामधारकों से अनुरोध हैं कि वे अपने प्रस्तावों को दो अलग-अलग मोहरबंद लिफाफे में, तकनीकी बोली एवं मूल्य बोली के साथ** बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई मेट्रो उत्तर क्षेत्र, बडौदा हाउस, दीवान शॉपिंग सेंटर के पीछे,एस.वी. रोड, जोगेश्वरी (पश्चिम), मुंबई 400102 में **दिनांक 18.01.2022 को दोपहर 4.00 बजे से पहले** जमा करें। सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों/सरकारी विभागों से जुड़े परिसरों को प्राथमिकता दी जायेगी।

क्र. सं.	ई-लॉबी हेतू परिसर (ग्राउंड फ्लोर पर पट्टे/किराये के आधार पर)	क्षेत्र	आवश्यक क्षेत्र कार्पेट में 10% अंतराल के साथ
1	माउंट पोईन्सर	मेट्रो	200 स्क. फुट

विस्तृत विवरण के लिए हमारी वेबसाईट **www.bankofbaroda.com** के टेंडर सेक्शन का अवलोकन करें।
किसी भी प्रस्ताव को बिना कारण बताए अस्वीकार करने / स्वीकार करने का अधिकार बैंक को है।

स्थान : मुंबई
दिनांक : 28.12.2021
क्षेत्रीय प्रबंधक
मुंबई मेट्रो उत्तर क्षेत्र

SBI
भारतीय स्टेट बैंक
कॉरपोरेट सेंटर, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई - 400021

सूचना

शेयरधारकों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि एसबीआई के शेयर का अंकित मूल्य रु. 10 से विभक्त करके रु. 1 करने की प्रक्रिया में बैंक द्वारा जारी शेयर प्रमाण-पत्र, जिनका अंकित मूल्य रु. 10 है, दिनांक 22 नवंबर 2014 से प्रभावी होकर अमान्य हो जाएँगे. इस संबंध में दिनांक 05.11.2014 को भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित की गई थी. तदनुसार, सभी उद्देश्यों से, इस सूचना में दिए गए शेयरों के विवरण रु. 1 अंकित मूल्य के शेयर प्रमाण-पत्रों के हैं. एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक की निम्न उल्लेखित प्रतिभूतियों के लिए शेयर/बॉण्ड प्रमाण-पत्र पंजीकृत धारक/धारकों से उक्त शेयर/बॉण्ड की नियत अवधि में उपयुक्त रूप से पूर्णकृत अंतरण अनुबंध(धों) के साथ/बिना गुम/खो गए हैं और उन्होंने बैंक को उनके नाम से डुप्लिकेट शेयर/बॉण्ड प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु आवेदन किया है. कोई भी व्यक्ति जिसका उक्त शेयर/बॉण्ड के संबंध में कोई दावा है, उसे ऐसा कोई भी दावा बैंक के अंतरण अभिकर्ता, मे. एलेंकिट असाइनमेंट्स लिमिटेड, 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालाँ एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055, (ई-मेल आईडी: sbi.igr@alankit.com) पर इस तिथि से 7 दिनों के भीतर के पास दर्ज करवाना चाहिए, अन्यथा, बैंक द्वारा किसी भी आगामी सूचना के बिना, डुप्लिकेट शेयर बॉण्ड प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाएगी.

भारतीय स्टेट बैंक

क्र. सं.	फोलियो सं.	धारक(कों) का नाम	शेयरों की संख्या	प्रमाणपत्र संख्या		विशिष्ट संख्या	
				से	तक	से	तक
1	07507581	मधु सूदन	240	6307643	6307643	8059534333	8059534572
2	02113061	सुनिता पुट्टू	500	172687	172687	7433270931	7433271430
3	07513082	ओम प्रकाश रस्तोगी दया राणी रस्तोगी	140	6313129	6313129	8060667158	8060667297
4	07513081	दया राणी रस्तोगी ओम प्रकाश रस्तोगी	140	6313128	6313128	8060667018	8060667157
5	00781015	सिद्ध प्रताप मौर्य कांचन मौर्य	30	55266	55266	7386602531	7386602560
6	03137501	महेश मल्होत्रा	1200	214289	214289	7454628431	7454629630
7	07528311	डी मानक चंद	280	6328319	6328319	8065089057	8065089336
8	07415404	जॉन के व्ही रेबेकाइप अजित जॉन	110	6215806	6215806	8013956743	8013956852
9	07107308	चंद्रन ई	400	230057	230057	7460903671	7460904070
10	03209730	कल्पना मुखर्जी मास्टर शमिंद्र नाथ मुखर्जी	530	216286	216287	7455575091	7455575620
11	02340484	कृष्णवती	600	191283	191283	7442844121	7442844720
12	07515296	रामदेव सिंह	140	6315339	6315339	8061173432	8061173571

उपरोक्त आँकड़े स्टॉक विभक्ति के परिणामस्वरूप रु. 1/- के अंकित मूल्य के वर्तमान शेयरों के विवरण प्रस्तुत करते हैं (रिकॉर्ड दिनांक 21.11.2014).

स्थान: मुंबई
दिनांक: 28.12.2021
शेयरों की संख्या: 4310
प्रमाण पत्रों की संख्या: 13
महाप्रबंधक
(शेयर एवं बांड)

नवी मुंबई महानगरपालिका

जाहीर नोटीस सूचना क्र./वृक्ष प्रा./52/2021-2022

महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे जतन अधिनियम 1975 च्या महाराष्ट्र अधिनियमानुसार केलेल्या सुधारणा विचारात घेऊन अधिनियमाच्या कलम 8(3) अन्वये या नोटीसाव्दारे असे जाहीर करण्यात येते की,

अ. क्र.	अर्जदाराचे नांव व पत्ता	झाडाचा प्रकार	संख्या (नग)	झाड तोडण्याचे कारण
1	मे. पंचकमल को-ऑप. हौ.सो.लि., बिल्डिंग नं. जी-28, ई-29/30, एफ-31, एच-32, भुखंड क्र. 03, से-29, वाशी, नवी मुंबई.	पेल्टोफोरम	1	सदरचे झाड तौक्ते चक्रीवादळाने पुर्णपणे रस्त्याच्या दिशेने झुकलेले असून झाडांची मुळे उखडल्याने झाड पडुन जिवित व वित्तहानी होण्याची शक्यता असल्याने तोडणे.

सदर प्रस्तावास वृक्ष तोडण्याची परवानगी देण्याचा वृक्ष प्राधिकरणाचा इरादा आहे. याबाबत नागरीकांच्या काही हरकती तसेच सदर वृक्षांवर पक्षांची घरटी असल्यास जाहिरात प्रसिध्द झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात सी विभाग वाशी, से.14, मराठाभवन शेजारी, वाशी, नवी मुंबई या विभागास कळविणे. मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या हरकती सूचनांचा विचार केला जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी

सही /-
(जयदिप पवार)
उप आयुक्त (उद्यान) तथा वृक्ष प्राधिकरण
नवी मुंबई महानगरपालिका

जाक्र-नमुंमपा/जसं/जाहिरात/1160/2021

नोटीस

राज्य परिवहन महामंडल के सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि राज्य परिवहन महामंडल के कर्मचारियों द्वारा की जा रही नियमबाह्य हड़ताल/आंदोलन के संबंध में मा. उच्च न्यायालय मुंबई में रिट याचिका क्र. २१६९९/२०२१ दाखिल की गई है. उक्त मामले में मा. उच्च न्यायालय ने दि. ०३.११.२०२१ को परिच्छेद क्र. ०७ में निम्नानुसार आदेश जारी किये गये हैं.

In view of the above facts and circumstances and keeping in mind the immense hardship and inconvenience that will be caused to the members of the public who have fixed their travel plans through MSRTC buses during the festive days, we direct to the Respondents i.e. all the employees of the MSRTC to refrain from proceeding with the proposed rally/strike/stoppage of work from mid night of 3rd November 2021 and / or thereafter, until further orders.

लेकिन राज्य परिवहन महामंडल के कर्मचारियों ने उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया है, जिसके चलते रा. प. महामंडल की ओर से दि. १०.११.२०२१ को मा. उच्च न्यायालय में अवमान याचिका क्र. २१७५८/२०२१ दाखिल की गई है. उक्त याचिका मा. उच्च न्यायालय मुंबई में विचाराधीन है. उक्त अवमान याचिका में मा. उच्च न्यायालय ने दि. २२.१२.२०२१ को परिच्छेद क्र. १९ और २० में निम्नानुसार आदेश जारी किये हैं.

19. We deem it appropriate to issue directions to the Corporation that the Corporation shall publish notice in all 250 depos of the Corporation intimating the employees of the Corporation working in all depos about the pendency of the Contempt petition in the court alongwith the order passed by this court.

20. In addition to the notice in depots, the Corporation shall publish a public notice in two daily leading news papers in "Marathi" language having a wide circulation in the entire State of Maharashtra as well as in one news paper in "Hindi" language having wide circulation in the State of Maharashtra within one week from today.

मा. उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशानुसार उपरोक्त निर्दिष्ट अनुसार अवमान याचिका क्र. २१७५८/२०२१ यह मा. उच्च न्यायालय, मुंबई में प्रलंबित होने की बात महामंडल के सभी कर्मचारियों के संज्ञान में लाई जाती है. उक्त याचिका की अगली सुनवाई दि. ०५.०१.२०२२ को निर्धारित है. अतएव, सभी रा. प. महामंडल कर्मचारी इसे संज्ञान में लें.

उपाध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
म.रा.मा.प. महामंडल

DGIPR 2021/2022/3352

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि. हेतु लेसी, नवभारत प्रेस लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक विनोद माहेश्वरी द्वारा नवभारत भवन, प्लॉट नं. 13, सेक्टर-8, सानपाड़ा (पूर्व), नवी मुंबई- 400 705 से मुद्रित तथा 189-ए, आनंद कॉम्पलेक्स, एस.जी. मार्ग, चिंचपोकली, मुंबई - 400 011 से प्रकाशित. एडिटर इन चीफ- विनोद माहेश्वरी, प्रबंध सम्पादक- निमिष माहेश्वरी. वर्ष 25 अंक 77 RNI Reg. No. 66960/97 To post without prepayment Regr. No. 29, Licence No. 6. **मुंबई** ■ **फोन :** 022-49642309 **फोन :** 27756117/ 27756119 **दिल्ली : 011- 233 54 237/8.** ■ E-Mail-mumbainbp@gmail.com (गोवा के लिए एयर सरचार्ज-1 रुपए).